प्रेस विज्ञप्ति

07 अगस्त 2015

श्री रणदीप सिह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस; श्रीनारायण स्वामी; श्री सी. पी. जोशी; श्री तरुण गोगोई (मुख्यमंत्री, असम); श्री इबोबी सिंह (मुख्यमंत्री, मणिपुर) एवं श्री नबम टुक्की (मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश) ने आज प्रेसवार्ता में निम्न संयुक्त बयान जारी किया :–

''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से ही भारत की अखंडता बनाए रखने और हमारे संवैधानिक ढ़ांचे के अंतर्गत इसका शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तलाशने के लिए बलिदान देती आई है। उत्तरपूर्वी राज्यों में शांति, संपन्नता और सामाजिक सद्भाव हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के विश्वास का आधार है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घुसपैठ/आतंकवाद/नक्सलवाद का मजबूती से सामना किया और देश के हर कोने, पंजाब से उत्तरपूर्व तक, स्थायी समाधानों के प्रयास पर पूरा जनसमर्थन हासिल किया, जिसके द्वारा यह विभिन्न उग्रवादी समूहों/संगठनों के साथ जिम्मेदारीपूर्वक चर्चा करके उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लेकर आई।

भारत की ''क्षेत्रीय अखंडता'', ''सहकारी संघवाद'' और ''राष्ट्रीय आम सहमति'' के सिद्धांत में स्थापित इस विश्वास के साथ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त 1985 को **''असम शांति समझौता''** और 25 जून, 1986 को **''मिज़ो शांति समझौता''** किया था।

नगाओं के अद्वितीय इतिहास को देखते हुए स्थायी शांति के लिए उत्तरोत्तर प्रयास किए गए, जो निम्न हैं – 1) जून, 1947 – 'नागा–अकबरी हैदरी समझौता' ; 2) जुलाई, 1960 – '16 प्वाईंट शांति समझौता'; 3) 01.12.1963 – नागालैंड का पृथक राज्य निर्माण और संविधान की धारा 371A लागू करना ; 4)1964 – संघर्ष विराम समझौता; 5) 11.11.1975 – शिलॉंग समझौता; 6) 25.07.1997– NSCN(IM) के साथ अस्थायी संघर्ष विराम समझौता; 7) 2002 – NSCN(K) के साथ अस्थायी संघर्ष विराम समझौता 8) 31.07.2007 – NSCN(IM) के साथ अस्थायी संघर्ष विराम समझौता को अस्थायी रूप से आगे बढ़ाया जाना। शांति के प्रयासों के संक्षिप्त विवरण के साथ एक पृथक नोट इस प्रेस विज्ञप्ति में **संलग्नक A-1** के साथ संलग्न है।

3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने घोषणा की, कि उसने श्री टी. मुईवा के NSCN(IM) के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में श्री टी. मुईवा के द्वारा एक प्रेस वक्तव्य भी जारी किया गया है, जिसकी प्रति इस प्रेस विज्ञप्ति के **संलग्नक A-2** में लगी है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संवैधानिक ढांचे के अंदर चर्चा के द्वारा नागा की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने का समर्थन करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने NSCN(IM) के साथ शांति समझौते के सरकार के प्रयास का स्वागत किया। हम सत्ताधारी दल में कुछ तत्वों के द्वारा इस शांति समझौते को दलगत राजनीति के दृष्टिकोण से देखे जाने का विरोध करते हैं।

जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी देश की जनता और उत्तरपूर्व भारत की ओर से जनता के सामने निम्न बातों को रखती है :–

1. ''सहकारी संघवाद'' हमारे संविधान की रग–रग में है। इसलिए यह आवश्यक है, कि शांति समझौता करने के लिए स्टेकहोल्डर्स मतलब नागालैंड, असम, अरुणाचलप्रदेश और मणिपुर की चुनी गई सरकारों को विश्वास में लिया जाए। ये चार राज्य भारत के संविधान की धारा 371A, 371B, 371H और 371C के अनुसार विशेष राज्यों की श्रेणी में आते हैं।

मोदी सरकार ने शांति समझौते की शर्तों पर चर्चा और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की चयनित सरकारों को अंधेरे में रखा। यहां चौंकानेवाली बात यह है, कि आज तक असम, अरुणाचलप्रदेश और मणिपुर की चयनित सरकारों को न तो समझौते की शर्तों की जानकारी है और न ही उनसे कोई सलाह ली गई है।

इससे सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को तोड़ने के लिए मोदी सरकार का अहंकार साफ दिखाई पड़ता है।

2. सबसे निराशाजनक बात यह है, कि मोदी सरकार की मंत्री– श्रीमति निर्मला सीतारमन ने कल देश को गुमराह करने की कोशिश की। श्रीमति निर्मला सीतारमन ने सफेद झूठ बोला, कि प्रधानमंत्री ने शांति समझौते पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने आने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया, कि यह बैठक नीति आयोग की बैठक वाले दिन रखी गई थी, जिसमें उचित मुआवजा अधिकार के कानून 2013 में संशोधनों पर चर्चा की गई। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना रुख साफ करते हुए पहले ही घोषणा कर दी, कि वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। सरकार के द्वारा यह कथित बैठक उसी दिन रखी गई थी, जब उत्तरपूर्वी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से आने के लिए कहा गया था। इस बैठक का लिखित में या मौखिक रूप से कोई एजेंडा नहीं बताया गया था और न ही यह बताया गया था, कि इसमें 'नागा शांति समझौते' पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार उत्तरपूर्वी राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने के बारे में प्रधानमंत्री जी की उदासीनता के कारण किया। देश को इस तरह से गुमराह नहीं किया जा सकता है।

3. शांति समझौते पर 3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तब संसद का सत्र जारी था। आज तक संसद को शांति समझौते की शर्तों के बारे में नहीं बताया गया है।

यहां तक यूनियन कैबिनेट को भी शांति समझौते के बारे में नहीं बताया गया है और औपचारिक मर्यादा के अनुसार इसे यूनियन कैबिनेट से अनुमोदित भी नहीं कराया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शांति समझौते की शर्तों पर चर्चा के लिए सभी पार्टियों की मीटिंग तक नहीं बुलाई और न ही उन्हें विश्वास में लिया।

यहां चौंकानेवाली बात यह है, कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर से कुछ मिनट पहले तक गृह मंत्रालय को भी अंधेरे में रखा गया। चिंताजनक बात यह है, कि ऐसा कहा जा रहा है, कि गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री ऑफिस को पत्र लिखकर शांति समझौते का विवरण मांगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, कि आज प्रकाशित हुई खबरों के अनुसार भारतीय सेना को भी इस शांति समझौते की शर्तों की कोई जानकारी नहीं थी। उसने भी गृहमंत्रालय को पत्र लिखकर शांति समझौते पर अपने रुख के बारे में दिशानिर्देश मांगे और पूछा कि इससे उत्तरपूर्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। http://indianexpress.com/article/india/india-others/army-seeks-clarity-on-pact-asks-mha-what-it-means/

इससे साफ है, कि पीएमओ पूरे कैबिनेट खासकर गृह मंत्रालय और सशस्त्र बल से कटा हुआ था।

4. प्रधानमंत्री ने इस तरह के शांति समझौते को करने से पहले यूनियन कैबिनेट की अनुमति लेने की परंपरा का उल्लंघन किया है। इसने सभी राजनीतिक दलों को भी अपने विश्वास में नहीं लिया।

15 अगस्त, 1985 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा असम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 16 अगस्त 1986 को उस समय की कांग्रेस सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई और शांति समझौते का विवरण संसद में पेश किया। लेफ्ट फ्रंट और फॉरवार्ड ब्लॉक के नेताओं के साथ कई राजनैतिक पार्टियों ने असम शांति समझौते का विरोध किया।

इसी तरह 25 जून 1986 को 'मिजो शांति समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए। उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी 30 जून 1986 को 'मिजो शांति समझौते' की घोषणा की और इसका ब्यौरा जनता के सामने रखा। 1 जुलाई 1986 को भाजपा और जनता पार्टी ने मिजो शांति समझौते का विरोध करते हुए आरोप लगाया, कि उस समय के प्रधानमंत्री आतंकवादियों के खिलाफ नरम रवैया अपना रहे हैं। अगस्त 1986 में संसद ने दो कानून पारित किए। पहले के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और दूसरे के द्वारा मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया।

विरोध के बावजूद शांति समझौते को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी और सभी राजनैतिक पार्टियों को विश्वास में लिया गया। इसका पूरा ब्यौरा संसद में और जनता के सामने रखा गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने लोकतंत्र के इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन किया है।''

5. समाचारपत्रों में खबरें, राज्यमंत्री के बयान और NSCN(IM) की प्रेस विज्ञप्ति (संलग्नक A-2) बताती हैं, कि भारत सरकार और NSCN(IM) के बीच एक ढांचागत समझौता किया गया है। इस ढांचागत समझौते का ब्यौरा न केवल यूनियन कैबिनेट को दिया जाना चाहिए, बल्कि संसद, सभी राजनैतिक दलों और देश के लोगों को भी बताया जाना चाहिए।

   खबरों से यह भी पता चलता है, कि बाद में एक ''शांतिपूर्ण राजनैतिक समाधान निकाल लिया जाएगा।'' बाद में कौन सा राजनैतिक समाधान निकालने की बात हो रही है, देशहित में इसका ब्यौरा भी दिया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दायित्व है, कि वे इन बातों को देश की जनता के सामने सार्वजनिक करें।''